Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सुनीता देवी पत्नी राजेश कुमार जाति कुम्हार निवासी 22 एएस–बी तहसील घडसाना आदि

बनाम

जगतार सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 6 डीडी पुराना वार्ड न. 5 नया वार्ड न. 6 तहसील घडसाना

किस्म मुकदमाः–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.– 101/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.3.2023	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फेरीकेन हाजिर। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट के संयुक्त परिवार की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति है जिसमें अपीलांट संख्या 2 ता 7 के जन्मसिद्व हक अधिकार एवं अधिपत्य तथा हित निहित है जो अपीलांटस के संयुक्त अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय का अलौच्य इंतकाल आदेश दिनांक 17.08.2022 (स्वीकृत आदेश दिनांक 26.08.2022) का जो कि अपीलांटस को बिना पूर्व सुनवाई का अवसर दिये एवं नोटिस दिये बिना एक पक्षीय पारित किया गया है। चूंकि अपीलांट सीधे तौर पर व्यथीत है एवं प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान की जावे। रेस्पोडेंट संख्या 01 व रेस्पोडेंट संख्या 02 पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही वकील अपीलांट के शपथ पत्र के खण्डन में कोई प्रतिशपथ पत्र पेश किया है। रेस्पोडेंटगण द्वारा दौराने बहस भी कोई मौखिक आपत्ति जाहिर नहीं की गई। पत्रावली अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की जांच की गई तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय पारित किया है। अपील अपीलांट अनुसार जैर अपील रकबा अपीलांट की पैतृक सम्पति है, जिससे अपीलांट के हित निहित है। इसलिए अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित है एवं प्रभावित पक्षकार है जिससे अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील भूमि तहसील घडसाना के चक 22 ए एस–बी का मुरब्बा न. 40 पत्थर 124/08 का किला न. 3/2, 4 ता 5, 15, 25 की 1.239 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड़ कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या 02 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। रेस्पोडेंट संख्या 02 ने उक्त भूमि में वक 22 ए एस–बी के मुरब्बा न. 40 पत्थर न. 124/08 का किला न. 16 ता 0.253, किला न. 25 0.253 है0 कुल 0.506 है0 कमाण्ड़ खातेदारी रकबा जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र द्वारा दिनांक 26.04.2017 को अपीलांट के पति/पिता राजेश कुमार उपहार दे दी व उक्त भूमि कब्जा भी उसी दिन राजेश कुमार को संभलवा दिया। उस रोज से लेकर आज राजेश कुमार के जीवन काल में स्वयं राजेश कुमार का व उसकी मृत्यु पश्चात अपीलांटस का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 02 ने दुर्भावनापूर्वक अपीलांटस को उनके हको से वंचित रखने हेतु अपराधिक षडयंत्रीय योजनावश अपने नाम की समस्त कृषि भूमि यथा तहसील घडसाना के चक 22 ए एस–बी का मुरब्बा न. 40 पत्थर 124/08 का किला न. 3/2, 4 ता 5, 15, 25 की 1.239 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड़ कृषि भूमि दिनांक 22.07.2022 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 को बैय कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर जैर अपील इंतकाल संख्या 242 दिनांक 26.08.2022 को स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व मौंका जांच नहीं किया गया तथा अपीलांट को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का इंतकाल संख्या 242 स्वीकृत दिनांक 26.08.2022 खारिज किया जावे।	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपने नाम की समस्त कृषि भूमि यथा तहसील घडसाना के चक 22 ए एस–बी का मुरब्बा न. 40 पत्थर 124/08 का किला न. 3/2, 4 ता 5, 15, 25 की 1.239 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड़ कृषि भूमि दिनांक 22.07.2022 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 को बैय कर दी। उक्त रजिस्टर्ड बेयनामा दिनांक 22.07.2022 के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपना जैर अपील इंतकाल संख्या 242 दिनांक 26.08.2022 को स्वीकार किया गया है। उक्त इंतकाल पूर्ण विधिक प्रकिया अपना कर ही दर्ज किया गया है। अपीलांट को जैर अपील इंतकाल के विरूद्व इस न्यायालय में अपील पेश ना कर बैयनामा के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का इंतकाल यथावत रखा जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जिससे पाया कि रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपने नाम की भूमि यथा तहसील घडसाना के चक 22 ए एस–बी का मुरब्बा न. 40 पत्थर 124/08 का किला न. 3/2, 4 ता 5, 15, 25 की 1.239 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड़ कृषि भूमि में से चक 22 ए एस–बी के मुरब्बा न. 40 पत्थर न. 124/08 का किला न. 16 ता 0.253, किला न. 25 0.253 है0 कुल 0.506 है0 कमाण्ड़ खातेदारी रकबा दिनांक 27.04.2017 को जरिये रजिस्टर्ड उपहारनामा द्वारा अपीलांट के पति/पिता राजेश कुमार को उपहार में दे दी। तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपनी समस्त भूमि यथा तहसील घडसाना के चक 22 ए एस–बी का मुरब्बा न. 40 पत्थर 124/08 का किला न. 3/2, 4 ता 5, 15, 25 की 1.239 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड़ कृषि भूमि का रजिस्टर्ड बैयनामा रेस्पोडेंट संख्या 01 जगतार सिंह के पक्ष में दिनांक 22.07.2022 को निष्पादित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज किया गया है। चूंकि जब रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा अपने नाम की भूमि यथा तहसील घडसाना के चक 22 ए एस–बी का मुरब्बा न. 40 पत्थर 124/08 का किला न. 3/2, 4 ता 5, 15, 25 की 1.239 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड़ कृषि भूमि में से चक 22 ए एस–बी के मुरब्बा न. 40 पत्थर न. 124/08 का किला न. 16 ता 0.253, किला न. 25 0.253 है0 कुल 0.506 है0 कमाण्ड़ खातेदारी रकबा दिनांक 27.04.2017 को जरिये रजिस्टर्ड उपहारनामा द्वारा अपीलांट के पति/पिता राजेश कुमार को उपहार में दे दी गई है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बैयनामा के आधार पर दर्ज किया गया इंतकाल शुरू से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील इंतकाल दर्ज करने से पूर्व मृतक राजेश कुमार के वारिसान को सुना जाना भी साबित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना का अपीलाधीन इंतकाल संख्या 242 दिनांक 26.08.2022 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालया तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में पुनः दस्तावेजो का अवलोकन कर तथा मृतक राजेश कुमार के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(श्रीगंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner